न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/01/2023	2023/5	03.01.2023	01.04.2026

1. रामलाल मीना पुत्र श्री भौरेलाल मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
2. देवीलाल पुत्र स्व. श्री श्रीयाराम मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
3. कैलाश मीणा पुत्र श्री हरसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
4. केसुरम मीना पुत्र श्री श्रीचंद मीणा निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
5. जगराम मीना पुत्र स्व. श्री चन्दरराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
6. कंचनराम मीना पुत्र श्री गुठठलराम जाति मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ राजस्थान स्वयं व बहैसियत प्रतिनिधि ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, इंतकाल संख्या 71 दिनांक 30.03.1984 वाके ग्राम निठारी, तह0 लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01.श्री अजीत कुमार यादव —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री मूलचन्द चौधरी —वकील रेस्पोडेंट सं. 1
03.श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट सं. 2

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील, अपीलांट्स द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 71 दिनांक 30.03.1984 वाके ग्राम निठारी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.03.1984 नामान्तकरण खातेदारी संख्या 71 ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अलवर राजस्थान आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की हैं, जो आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 02 द्वारा हम अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दियें, पारित करने के कारण हम अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य आज्ञा की किसी तरह की नही थी। इसलिये समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी, इसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदयान्ति नही हैं। हम अपीलान्टस को उक्त आलोंच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.11.2022 को मौके पर रैस्पाडैन्टस व पटवारी हल्का से मौखिक रूप से हुयी, जब रैस्पाडैन्टस व पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी में मौके पर आकर निर्माण कार्य करने हेतु निरीक्षण किया। जिस पर दिनांक 16.11.2022 को नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 16.11.2022 को तैयार होकर दिनांक 18.11.2022 को सांयकाल प्राप्त हुई। अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 15.11.2022 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं।

आलोच्य आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 02 दिनांक 30.03.1984 से सर्वप्रथम जानकारी की दिंनाक 15.11.2022 तक का समय हम अपीलान्टस की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जानें योंग्य हैं। जहां आलोच्य आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आलोच्य आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टस न्यायहित मे सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 15.11.2022 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आलोंच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.03.1984 नामान्तकरण खातेदारी संख्या 71 ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान बेजा व न्यायिक विधि एवं प्रक्रिया विरूद्ध एवं मौके व कब्जें तथा राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आलोंच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.03.1984 नामान्तकरण खातेदारी संख्या 71 ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में वर्णित विवादित आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1. 5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी की किस्म बारानी प्रथम अज बंजड व बारानी प्रथम अज चारागाह हैं। उक्त आराजीयात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसमें हम अपीलान्टस व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के हित निहित हैं, उक्त आराजी पर वर्तमान में भी हम अपीलान्टस व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान काबिज हैं, तथा अपने पशुओं को चराने आदि के काम में लेते हैं, उक्त आराजीयात में ग्राम के पशु उठते बैठते हैं। उक्त आराजीयात हम अपीलान्टस व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसको कानूनन रैस्पाडैन्ट संख्या 01 राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के लिए आवंटन नही किया जा सकता हैं, ग्राम जटवाडा तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की भूमि को ही कानूनन उक्त गांव की शाला के लिए आवंटन किया जा सकता हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त आराजीयात को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका रैस्पाडैन्ट संख्या 01 राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान को आवंटन कर राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी का अंकन किया गया। तत्पश्चात सनद पटटा खातेदारी दिनांक 19.05.1969 को जारी किया गया, जिसके आधार पर आलोच्य इंतकाल जेर बहस अपील दर्ज व तस्दीक किया गया हैं। इसलिए अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा नामान्तकरण निरस्तनीय हैं।

ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, जिसमें कोई खेल मैदान नही हैं, उक्त विद्यालय में करीब 200 से अधिक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, जिनके लिए जगह कम हैं। इसलिए उक्त विवादित आराजी का आवंटन राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान को किया जाना न्यायोचित हैं, जिसमें हम अपीलान्टस व ग्रामवासियान को कोई एतराज नही हैं। इसलिए अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा नामान्तकरण निरस्तनीय हैं। तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 02 द्वारा बिना हम अपीलान्टस व ग्रामवासियान को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, आलोच्य आज्ञा पारित की हैं। तथा किसी प्रकार की मौका जांच नहीं की गई। जो आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 02 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण काबिल निरस्त हैं। रैस्पाडैन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा सनद पटटा खातेदारी दिनांक 19.05.1969 के आधार पर पारित की गई हैं, तथा आलोच्य नामान्तकरण खातेदारी बाबत तस्दीक किया गया हैं, लेकिन रैस्पाडैन्ट संख्या 02 ने आलोच्य आज्ञा नामान्तकरण में "गैरखातेदार" स्वीकार किया जाता अंकित किया गया हैं। इसलिए आलोच्य आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से निरस्तनीय हैं।

उक्त विवादित आराजी ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियान के हित निहित हैं, लेकिन सभी ग्रामवासियान अपीलान्टस पक्षकार बनकर अपील पेश करने व पैरवी करने में असमर्थ हैं, इसलिए ग्रामवासियान द्वारा हम अपीलान्टस को अपना प्रतिनिधी अधिकृत किया गया हैं। इसलिए अपील हम अपीलान्टस द्वारा स्वयं व प्रतिनिधी ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की हैसियत से पेश की जा रही हैं।

तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 02 ने अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा खिलाफ तथ्य, कानून, मौका प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों व भू–आवंटन नियमों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पारित की गई हैं। जिससे निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार फरमाते हुयें, आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.03.1984 नामान्तकरण खातेदारी संख्या 71 ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावें एवं आलोच्य आज्ञा में वर्णित उक्त विवादित आराजी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हेतु आवंटन किये जाने की अनुशंसा की जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्टस को रैस्पाडैन्टस से दिलाया जावें व जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्टस विरूद्ध रैस्पाडैन्टस सादिर फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा अपने समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष इस आशय की प्रतिनिधि वाद अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सीपीसी प्रस्तुत की गई है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.05..1969 को अप्रार्थी संख्या 1 को हाल आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टेयर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टेयर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर आवंटित की गई थी। जिसका नामांतकरण सख्या 71 दिनांक 30.03.1984 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किया गया है। उक्त हाल आराजी बंजड व बारानी प्रथम चारागाह है। उक्त आराजीयात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण/उज्जदारान व ग्राम वासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ़ के हित निहित है। उक्त आराजी पर वर्तमान में भी प्रार्थीगण व ग्राम वासियान निठारी का कब्जा आवंटन से पूर्व व आवंटन उपरांत आज तक होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पारित की गई, उक्त भू आवंटन आज्ञा विधि विरुद्ध, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है आदि पर उक्त इंतकाल निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

अपीलान्टान का यह कहना कतई गलत है कि उन्हे उक्त आज्ञा की कोई जानकारी नहीं हो, बल्कि अपीलान्टान को उक्त आज्ञा की पूरी तरह शुरू से ही जानकारी रही है। चूँकि विवादित आराजी मिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को विधिवत दिनांक 19.05.1969 को आवंटित की गई थी। विवादित आराजी में ग्राम वासियान द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई तथा दिनांक 18.01.1985 को मिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से मुकामी पुलिस थाना में इस आश्य की रिपोर्ट दर्ज करायी कि स्कूल की आराजी खसरा नम्बर 308/1 रकबा 14 बिस्वा मौका निठारी में है जिस पर डोली बंध वाई जा रही थी। वह मौका देखने के लिए बिडदयाराम, सहायक अध् यापक व मोतीलाल चपरासी के साथ एक बजे मौके पर गया व देखा कि अभियुक्तगण नत्थू, काली, खैरा, मोतीलाल, बिरदा, वगैरा ने मजदूरो को डोली नही बनाने दी और धमका कर भगा दिया तथा उक्त मुलजिमान ने एक राय होकर उस पर आक्रमण कर दिया। उसके चेहरे, जबडे पर लात घूसे मारे तथा ट्रेक्टर की पुलिया से भी मारा व झण्डा झोली बना कर कुए में डालने का प्रयास किया लेकिन बिडदयाराम सहायक अध्यापक, मोतीलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व मिश्रीलाल ने उसे आकर बचा दिया। उस समय वह सरकारी कार्य में व्यस्त था और उक्त कार्य के दौरान मारपीट की गई। जिस पर मुकामी पुलिस द्वारा थाना खेडली द्वारा मुकदमा नम्बर 131/85 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 333, 353, 447, भा०दं. सं० के तहत कामय किया गया और बाद तफतीश चार्ज शीट धारा 147, 332, 333, 447 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत चार्जशीट पेश की गई जिस प्रकरण में अभियक्त बिडदयाराम वगैरा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाये जाने पर 6 माह के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाकर निर्णय व दण्डादेश दिनांक 25.04.1988 को पारित किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्टान व समस्त ग्राम वासियान को उपरोक्त आदेश की पूर्व से ही जानकारी रही है। इस प्रकार अपीलान्टान द्वारा दिनांक 15.11.2022 को जानकारी होने का तथ्य मनगढन्त दर्ज किया गया है। यह कि उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। चूँकि विवादित आराजी मिन रेस्पाडेन्ट को विधिवत दिनांक 19.05.1969 को आवंटित की गई थी। उक्त अपील आवंटन आदेश से करीब 53 वर्ष पश्चात एवं नामांतकरण 38 वर्ष के पश्चात दायर की गई है जो मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है।

उक्त अपील कानूनी प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत की गई है तथा विवादित आराजी से कभी भी अपीलान्टान का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है और नाही वर्तमान में है। अपीलान्टान का यह कथन कतई गलत है कि तहत अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधि नियम 1956 के प्रावधानो व भू आंवटन नियमो के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित की गई है। जबकि विवादित आराजी विधिवत सरकार द्वारा मिन रेस्पाडेन्ट सं. 1 को दिनांक 19.05.1969 को आवंटित की गई थी। यदि उक्त आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो व भू आंवटन नियमो के विपरीत किया गया है। चूँकि उक्त आवंटन के आधार पर ही नामांतकरण मिन रेस्पाडेन्ट सं. 1 के नाम स्वीकृत किया गया है। भू आंवटन 1963 के नियमो के अनुसार किया गया है। यह कि विवादित आराजी खाली सिवायचक भूमि रही है जिससे कभी भी अपीलान्टान या किसी अन्य ग्राम वासियान का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि नही रही है और ना ही उसमें अपीलान्टान व ग्राम वासियान ग्राम निठारी के हित निहित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि राजकीय विद्यालय को खेल कूद मेदान व स्कूल हेतु आंवटन की गई है जो ग्राम के बच्चो के भविष्य को उज्जवल हेतु की गई है। यह कहना कतई गलीत है कि उक्त आराजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए आंवटन नहीं की जा सकती हो। सरकार द्वारा उक् आराजी विधिसम्मत तरीके से कानूनी प्रावधानो के अनुसा मिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को आंवटन की गई है और यदि उक्त आवंटन से किसी प्रकार कोई एतराज है तो उसके विरूद्व अपीलान्टान/ग्राम वासियान द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपील पोषणीय नही होने से काबिल खारिज है।

उक्त आवंटित भूमि विद्यालय व उसके खेल मैदान के लिए ही आवंटित की गई है और मौके पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निठारी व आस पास के सभी ग्राम के बच्चे अध्ययनरत है। अपीलान्टान या ग्राम वासियान का आराजी मुतनाजा में कोई हित निहित नही है और ना ही कभी रहा है ऐसी स्थिति में उन्हे सुना जाना आवश्यक नही था। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 द्वारा, मौका व रिकार्ड का अवलोकन कर व प्राकृतिक सिद्वान्तो के अनुरूप ही नामांतकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्टान द्वारा बहैसियत स्वंय एवं ग्राम वासियान की ओर से अपील पेश की गई है। कानून प्रतिनिधि अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नही हैं। केवल मात्र प्रतिनिधि वाद (दावा) ही दायर किया जा सकता है। इसलिए भी अपील चलने योग्य नही है। रेस्पाडेन्ट द्वारा अपील में अलॉटमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले की नकल संलग्न है। उक्त अपील प्रतिनिधि अपील की परिभाषा में नही आती है, क्योंकि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में भी पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पडती है। उसके सार्वजनिक नोटिस अखबार पर साया होता है। इस प्रकार इसको अदेश 1 नियम 10 प्रतिनिधि अपील नही मान सकते है। कानूनन प्रतिनिधि अपील होती ही नही है। केवल सीपीसी में वाद होता है। ना कि अपील। अपील के साथ धारा 96 जा०दी० का भी प्रार्थना पत्र पेश नही कया ह। इस आधार पर भी अपील खारिज होने योग्य है। यह कि अपीलान्टान तहत अदालत के समक्ष पक्षकार मुकदमा नही थे ओर नाही न्यायालय श्रीमान से अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 जा०दी० के तहत इजाजत ली गई है। ऐसी स्थिति में भी अपील पेश चलने योग्य अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने समर्थन में RRT 2023 Page 1362, RRT 2023(2) Page 821, RRD 1999 Page 389, RBJ 2010 Page 289, RBJ 2005 Page 132, RRT 2016-17 (Supp.) Page 158, RRT 2017 Page 117 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। यह अपील अत्यधिक विलंब लगभग 37 वर्ष से प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

परंतु, अपील में महत्वपूर्ण विधिक तथ्य निहित होने तथा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिंदु पर न्यायहित में नरमी का रुख अपनाने के प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी के विलंब को माफ किया जाता है एवं अपील को सुनवाई हेतु अंदर मियाद स्वीकार किया जाता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलाण्ट्स के मुख्य तर्क है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिए बिना इंतकाल संख्या 71 दर्ज किया गया है एवं विवादित भूमि खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा और 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा बारानी प्रथम चारागाह व बंजर है, जिस पर ग्रामवासियों का सार्वजनिक उपयोग व पशु चराने का अधिकार है। भूमि ग्राम निठारी में है, जबकि आवंटन ग्राम जटवाडा के विद्यालय (रेस्पोडेण्ट सं. 1) को किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट्स के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिए कि अपीलाण्ट्स का यह कथन कि उन्हें वर्ष 2022 में जानकारी मिली, पूर्णतः असत्य है। वर्ष 1985 में उक्त भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में रेस्पोडेण्ट सं. 1 के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें पुलिस थाना खेड़ली में एफआईआर सं. 131/85 दर्ज हुई और अभियुक्तों को वर्ष 1988 में सजा भी हुई। अतः अपीलाण्ट्स को आवंटन और कब्जे की जानकारी दशकों पूर्व से थी। विवादित आराजी का विधिवत आवंटन दिनांक 19.05.1969 को ही हो चुका था। नामान्तकरण केवल उस आवंटन की अनुपालना है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चिंतन–मनन किया गया। विवादित भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 राजकीय विद्यालय जटवाडा, को दिनांक 19.05.1969 को किया गया था। नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 30.03.1984 मात्र उक्त मूल आवंटन आदेश की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि है। राजस्व विधि के अंतर्गत यह स्थापित है कि नामान्तकरण किसी स्वत्व का सृजन या समाप्ति नहीं करता। यदि अपीलाण्ट्स को भूमि के विद्यालय के नाम होने से आपत्ति थी, तो उन्हें मूल आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1969 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देनी चाहिए थी। मात्र अनुपालना स्वरूप दर्ज इंतकाल को चुनौती देकर आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता।

अपीलाण्ट्स ने अपील में उल्लेख किया है कि उन्हें आलोच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.11.2022 को हुई। परन्तु, रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों (एफआईआर सं. 131/85 एवं न्यायालयीन निर्णय दिनांक 25.04.1988) से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि के कब्जे एवं विद्यालय के स्वत्व को लेकर वर्ष 1985 में ही विवाद हुआ था, जिसमें कुछ ग्रामवासियों को सजा भी हुई थी। यह तथ्य पूर्ण रूप से सिद्ध करता है कि अपीलाण्ट्स एवं ग्रामवासियों को भूमि के आवंटन और विद्यालय के स्वत्व की जानकारी दशकों पूर्व से थी। न्यायालय के समक्ष जानबूझकर असत्य तथ्य प्रस्तुत कर स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आना अपीलार्थियों की दुर्भावना को दर्शाता है।

विवादित भूमि सिवायचक राजकीय भूमि थी, जिसे राज्य सरकार ने एक लोक–कल्याणकारी उद्देश्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं खेल मैदान हेतु आवंटित किया है। इसमें किसी निजी व्यक्ति का हित बाधित नहीं हो रहा है, बल्कि यह ग्रामहित एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहे हैं कि उक्त भूमि में उनका कोई व्यक्तिगत या स्थापित खातेदारी अधिकार निहित है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश/इंतकाल संख्या 71 दिनांक 30.03.1984 पूर्णतः पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1969 एवं राजस्व नियमों के अनुरूप है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

इसमें कोई विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन, विधिक प्रावधानों के विपरीत तथा दुर्भावनापूर्ण रूप से विलंब से सत्य तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः, उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 71 दिनांक 30.03.1984 वाके ग्राम निठारी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर